www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सूचना अनुभाग
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स लोधी रोड,
नई दिल्ली, 110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 13.01.2017

सीबीआई ने एयर इण्डिया के द्वारा 225 करोड़ रू. (लगभग) की साफ्टवेयर की तथाकथित अनुचित खरीद के सन्दर्भ में मामला दर्ज किया

सीबीआई ने केन्द्रीय सर्तकता आयोग से प्राप्त सूचना के आधार पर एयर इण्डिया के अज्ञात कर्मियों, जर्मनी की साफ्टवेयर कम्पनी एवं यू.एस.ए. की अन्य कम्पनी तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 420 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी) के तहत मामला दर्ज किया। वर्ष 2011 में एयर इण्डिया के द्वारा 225 करोड़ रू. (लगभग) के साफ्टवेयर की अनुचित खरीद के सन्दर्भ में आरोप था। वर्तमान मामले में एयर इण्डिया के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा पहले जॉच की गई थी, जिसने अपनी रिर्पोट में इस खरीद पर कई अनियमितताए पाई तथा इसे मुख्य सतर्कता अधिकारी को प्रस्तुत किया।

आगे की जॉच जारी है।

****